

राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या-02

दिनांक 12.11.2022

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। परिशमन के आधार पर प्रस्तुत आपराधिक वाद का निस्तारण अभियुक्त व परिवहन विभाग द्वारा किया गया तथा परिशमन धनराशि अभियुक्त द्वारा परिवहन विभाग में जमा कर रसीद दाखिल किया गया है। रसीद पत्रावली पर दाखिल है। अतः परिशमन के आधार पर यह आपराधिक वाद निस्तारित किया जाता है।


कमल प्रसाद बमराड़ा
सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या-02


रवि प्रकाश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल
अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या-02